

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022022-233066 SG-DL-E-02022022-233066

#### असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943
No. 53]	DELHI, MONDAY, TANUARY 21 2022 24 2022
	[N. C. T. D. No. 403

#### भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

फा. सं. 161 )93)/एसएफआरसी/डीडी(टीई)/ 2018-19/73-84.—दिल्ली डिप्लोमा स्तरीय के तकनीकी शिक्षा संस्थान (समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चत करने हेतु कैपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम -२००७, (२००७ का दिल्ली अधिनियम -७) की धारा ६ उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक १६ अक्टूबर, २०२० की अधिसूचना सं. फा. १६१ (९३)/एसएफआरसी/डीडी(टीई)/ २०१८-१९/१४६३ के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी प्रबंधन संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तरीय विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध संस्थान के पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु शुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ तथा उक्त अधिनियम में सौंपे गये प्रकार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात:-

637DG/2022

## DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

शुल्क विनियामक समिति

श्री रमेश नेगी, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त)

श्री सतीश गोयल, सनदी लेखाकार

डॉ. रमेश उन्नीकृष्णन, (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद के प्रतिनिधि)

श्री मनोज कुमार, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त)

सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली सरकार)

टीप : उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष का होगा | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश मे तथा उनके नाम पर.

आर. आलिस वाज. सचिव

# DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

### Delhi, the 31st January, 2022

F. No. 161(93)/SFRC/DD(TE)/2018-19/73-84.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Delhi Diploma Level Technical Education Institutions (Prohibition of Capitation fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act-2007, (Delhi Act-7 of 2007), and in supersession of the notification No. F.161(93)/SFRC/DD(TE)/2018-19/1463 dated the 16th October, 2020 issued by this Government, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the following committee for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the diploma level institutions affiliated to BTE in National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the Act, consisting of the following members namely:-

Fee Regulatory CommitteeChairperson:Sh. Ramesh Negi, IAS (Retd.)Member:Sh. Satish Goyal; Chartered AccountantMember:Dr. Ramesh Unnikrishnan, Representative of All India Council of<br/>Technical EducationMember:Mr. Manoj Kumar, IAS (Retd.)Member:Secretary (Department of Training & Technical<br/>Education; GNCT of Delhi).

Note: The term of the Chairperson and the members of the above Committee shall be three years from the date of publication of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of The National Capital Territory of Delhi

R. ALICE VAZ, Secy.

1-160

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

अध्यक्ष :

सदस्य :

सदस्य

सदस्य : सदस्य सचिव(पदेन):

and the train to the the second second